

## डिक्री व मुकदमें इब्दादाई

(आदेश 20 नियम 6-7 जा०दी०)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :- मीनू वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर:- 63/2018

सरिता चौधरी पत्नी संजीव कुमार जाति जाट निवासी सिलवालाखुर्द तहसील  
टिब्बी जिला हनुमानगढ। वादीया

:-बनाम:-

संजीव चौधरी पि०मु० मुंशीराम जाति जाट निवासी सिलवालाखुर्द तहसील टिब्बी  
जिला हनुमानगढ। प्रतिवादी

आज यह वाद मुझ मीनू वर्मा आर०ए०एस सहायक कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी टिब्बी के समक्ष श्री संजय शर्मा अधिवक्ता वादी व श्री जयनारायण शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी की हाजिरी में निर्णार्थ प्रस्तुत होने पर वादीया का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि वादीया चक न० 654 आरडी जमांबदी सम्वत 2070 से 73 के खाता स० 176/170 के प०न० 220/310 कि०न० 20, 21/0.506 प०न० 219/310 कि०न० 14 ता 18, 23ता 25/2.024 प०न० 219/311 कि०न० 3 ता 7, 14 ता 18/2.530 प०न० 220/311 कि०न० 1 ता 3, 7 ता 14, 18 ता 22/4.048 हे० कुल 9.108 हे० नहरी मय गैर मुमकीन रास्ता भूमि की खातेदार काश्तकार घोषित कि जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक श्रण की स्थिती में रहन मुक्त होने के पश्चात राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....  
..निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालानां आज की तारीख वसुलयाबी तक.....अदा करे।

डिक्री आज दिनांक 16.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(मीनू वर्मा)

सहायक कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी  
टिब्बी